न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 40/2014/अपील आवश्यक वस्तु अधिनियम

सलीम खां पुत्र सादल खां, जाति मुसलमान, निवासी पाटन, उचित मूल्य दुकानदार दलपतपुर, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)।

अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, सीकर।
2. ताराचन्द गोठवाल, भूतपूर्व प्रवर्तन निरीक्षक, नीमकाथाना एवं जिला रसद अधिकारी, सीकर।

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः–

1. श्री इस्लामुद्दीन गौरी एवं महेन्द्र पारीक अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नरेश कुमार शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनिमय आदेश–1976

विरूद्व आदेश दिनांक 17.06.2014 जिला रसद अधिकारी सीकर

निर्णय

सुनवाई दिनांकः 29 अगस्त, 2017 दिनांकः 03 अक्टूबर, 2017

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत दलपतपुरा, नीमकाथाना सीकर में उचित मूल्य का दुकानदार है तथा वर्ष 1987 से उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण करता आ रहा है। अपीलार्थी की वितरण व्यवस्था से किसी भी उपभोक्ता को कोई भी परेशानी नहीं है तथा प्रार्थी पूर्ण ईमानदारी के साथ बिना कोई शिकायत वितरण कार्य करता आ रहा है। अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 77/87 है। प्रवर्तन निरीक्षक नीमकाथाना एवं धोद द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति में दिनांक 25.01.2014 को सांय 7 बजे अपीलार्थी की दुकान का निरीक्षण किया गया। उसी रोज अपीलार्थी सांय 5.30 बजे गेहूं वितरण कर रहा था दुकान बंद होने की वजह से पुनः दिनांक 28.01.2014 को अपीलार्थी को बिना सूचना दिये दुकान का ताला तोड़कर अपीलार्थी की अनुपस्थिति में जांच की गई उस रोज अपीलार्थी के बड़े भाई रसीद खां पुत्र सादल खां का ईन्तकाल हो गया था जिसकी सूचना डी. एस. ओ. को फैक्स के द्वारा भेज दी गई थी। उसी दौरान मौके पर 63 कट्टे गेहूं वजनी 31.50 किलो व 12 खाली ड्रम बताये गये हैं

जिला कलक्टर, सीकर

जबकि अपीलांट के स्टॉक रजिस्टर में और दुकान में 63 कट्टे गेहूं के मौजूद थे और 12 ड्रम खाली थे केरोसीन तेल नहीं आया था। अपीलार्थी को अक्टूबर 2013 से जनवरी 2014 तक 531.10 क्विंटल गेहूं प्राप्त हुआ था जबकि 500.10 क्विंटल गेहूं का वितरण कर दिया गया था और शेष रहे लगभग 31 क्विंटल गेहूं मौके पर कट्ट में पाये गये। और खाली ड्रम का कोई आरोप नहीं है। इस प्रकार अपीलांट के विरूद्व 8.8 क्विंटल गेहूं तथा 1770 लीटर केरोसीन तेल गबन का झूठा आरोप लगाया गया है। रेस्पोडेन्ट ने एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर बिना अपीलार्थी को जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराये व साक्ष्यं प्रस्तुत करने तथा व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिये बिना मनमर्जी से चुनौतीग्रस्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत बदनियति पूर्वक पारित किया है जो निरस्त फरमाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र फिर से बहाल करने का श्रम करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री नरेश कुमार शर्मा प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि रेस्पोडेन्ट के प्रतिनिधि द्वारा प्रार्थी की दुकान को सांय 7 बजे पीछे से सील किया गया जबकि अपीलार्थी 6 बजे तक गेहूं वितरण कर रहा था एवं दिनांक 28.01.2014 को अपीलार्थी अपने भाई का ईन्तकाल हो जाने के कारण अन्तिम संस्कार में लगा हुआ था व अपीलार्थी की गैर मौजुदगी में दुकान का ताला तोड़कर जो कार्यवाही की गई वह मनमर्जी के अनुसार की गई अपीलार्थी की दुकान में गेहूं व केरोसीन तेल स्टोर पंजिका के अनुसार ही मौके पर पाये गए लेकिन मनमर्जी के अनुसार गलत जांच रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत करने पर रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र बिना अपीलार्थी की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही निरस्त कर दिया। जबकि अपीलार्थी ने अपने जवाब नोटिस में सभी तथ्यों का खुलासा कर दिया था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.06.2014 निरस्त फरमाया जावे व अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

5. रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने अभिकथन किया कि प्रथम जांच रिपोर्ट दिनांक 29.01.2014 श्री इन्द्रपाल मीणा प्रवर्तन निरीक्षक दांतारामगढ़ कैम्प नीमकाथाना तथा द्वितीय जांच रिपोर्ट दिनांक 31.3.2014 श्रीमती सुनीता शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक नीमकाथाना की मौका रिपोर्ट में पाई गई अनियमितता के आधार पर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पाई गई अनियमितताओं के कारण अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाने का श्रम करें।

जिला कलक्टर, सीकर

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि जांच रिपोर्ट दिनांक 28.01.14 में अंकित किया गया है कि राशन सामग्री वितरण हेतु उपयोग में ली जा रही दो दुकानों पर उचित मूल्य की दुकान तथा नोटिस बोर्ड इत्यादि कोई सिम्बलस् नहीं पाये गये। डीलर की दूकानों के ताले तोड़कर जांच करने पर दुकानों में 63 कट्टे गेहूं तथा 12 ड्रम खाली पाये गये, जिनके सम्बन्ध में कोई ब्यौरा नहीं मिला तथा मौके पर उपस्थित स्थानीय सरपंच ने बताया कि राशन डीलर विगत लगभग 4 वर्ष से रिकॉर्ड का सत्यापन नहीं करवा रहा है। प्रवर्तन निरीक्षक नीमकाथाना द्वारा दिनांक 31.3.2014 को डीलर की दुकान का भौतिक सत्यापन रिकॉर्ड से किये जाने पर मुख्य रूप से 8.8 क्विंटल गेहूं व 1770 लीटर केरोसीन तेल कम होना पाया गया डीलर के विरूद्व FIR दर्ज करवाई गई। डीलर को दिये गये नोटिस दिनांक 15.04.2014 व डीलर द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 22.5.2014 में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.06.2014 में अपीलांट को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1976 के आदेश 2001 के तहत दोषी पाया है। जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि डीलर द्वारा तीनों वितरण रजिस्टर में कुल 503.90 क्विंटल गेहूं वितरण दर्ज है तथा स्टॉक रजिस्टरों में 544.20 क्विंटल गेहूं की आमद दर्ज है। अतः 40.30 क्विंटल गेहूं शेष होना चाहिए जबकि मौके पर 31.50 क्विंटल गेहूं पाया गया। 8.8 क्विंटल गेहूं का वितरण रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि 8.8 क्विंटल गेहूं का गबन किया गया है। इसी प्रकार केरोसीन की कुल आमद 5370 लीटर जबकि वितरण 3600 लीटर दर्ज है शेष 1770 लीटर केरोसीन के वितरण का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया। अतः 1770 लीटर केरोसीन तेल की कालाबाजारी किया जाना स्पष्ट है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी के निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांकः 03 अक्टूबर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर